प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा एवं

माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा

दांडिक अपील क्र. 340/2011

कमलेश उंराव उर्फ़ बिरंसाई

उर्फ़ चुण्डा उर्फ़ बोडारो उर्फ़ मोटू

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय हेतु विचारार्थ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–

राधे श्याम शर्मा

न्यायाधीश

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति। :

सही/–

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

दिनांक 18.10.2012 को सूचीबद्ध किया जाए–

सही/–

राधे श्याम शर्मा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

.....

युगल पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा एवं

माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा

.....

दांडिक अपील क्र. 340/2011

अपीलार्थी — कमलेश उंराव उर्फ़ बिरंसाई उर्फ़ चुण्डा उर्फ़ बोडारो उर्फ़ मोटू, पिता बुल्चू उंराव, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी-ग्राम केरता, पंछीदड़, पुलिस थाना प्रतापपुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़

बनाम

प्रत्यर्थी — छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

.....

उपस्थित :

श्री सुनील त्रिपाठी, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।

श्री राजेंद्र त्रिपाठी, पैनल अधिवक्ता वास्ते राज्य/प्रत्यर्थी।

.....

दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374(2), दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

निर्णय

(दिनांक 18 अक्टूबर 2012 को उद्घोषित)

यह अपील दिनांक 15.04.2011 को द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अंबिकापुर) द्वारा सत्र प्रकरण क्र. 93/2008 में पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित निर्णय के द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी कमलेशउंरावउर्फबिरनसाई उर्फ चुंडा उर्फ बोदारो उर्फ मोटू को दोषसिद्ध ठहराया गया तथा निम्न प्रकार से दंडित किया गया, साथ ही यह निर्देश दिया गया कि सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी :-

दोषसिद्धि	**दंडादेश**
अंतर्गत धारा 376(1) भारतीय दंड संहिता	आजीवन कारावास तथा ₹1,000/- का जुर्माना अदा करने की सजा; जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
अंतर्गत धारा 302 भारतीय दंड संहिता	आजीवन कारावास तथा ₹1,000/- का जुर्माना अदा करने की सजा; जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. अभियोजन का संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है:

दिनांक 10-12-2007 को लगभग रात्रि 10:20 बजे, परिवादी रामनाथ (अ.सा.-2) ने थाना अम्बिकापुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-4) दर्ज कराई कि वह अपनी पत्नी सुगंती बाई (अ.सा.-4) के साथ भट्ठापारा, अम्बिकापुर में निवास करता है। पिछले एक सप्ताह से मृतका कु. सुचिता, निवासी सीतापुर, मजदूरी कार्य के कारण उनके साथ रह रही थी। उसकी दूसरी पत्नी धर्मा बाई (अ.सा.-3) चिरौंजी सेठ के वाड़ा में बने कच्चे मकान में रहती थी। मृतका कुछ समय तक

अपीलार्थी के साथ रहने के बाद उसे छोड़कर चली गई थी। अपीलार्थी धर्मा बाई (अ.सा.-3) के पास भी जाया करता था। इसी बात को लेकर अपीलार्थी और धर्मा बाई के बीच विवाद उत्पन्न हो गया था और अपीलार्थी ने धर्मा बाई (अ.सा.-3) को जान से मारने की धमकी दी थी। दिनांक 10-12-2007 को ही लगभग रात्रि 8 बजे, रामनाथ (अ.सा.-2) को अपने चाचा की मृत्यु का समाचार मिलने पर वह अपनी दोनों पत्नियों सुगंती बाई (अ.सा.-4) तथा धर्मा बाई (अ.सा.-3) के साथ अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के लिए खरसिया चौक गया था। मृतका को भोजन बनाने के लिए धर्मा बाई (अ.सा.-3) के घर पर छोड़ दिया गया था। लगभग रात्रि 10:15 बजे जब वे वापस लौटे, तो उन्होंने देखा कि धर्मा बाई (अ.सा.-3) के घर के दरवाजे की सांकल और ताला टूटा हुआ था तथा मृतका घर के अंदर मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। मृतका की गर्दन पर गहरा कट का घाव था और उसकी स्कर्ट ऊपर उठी हुई थी। धर्मा बाई (अ.सा.-3) के साथ विवाद के कारण अपीलार्थी, धर्मा बाई (अ.सा.-3), रामनाथ (अ.सा.-2) तथा सुगंती बाई (अ.सा.-4) को जान से मारने की धमकी देता था। रामनाथ (अ.सा.-2) को संदेह था कि अपीलार्थी ने मृतका के साथ बलात्कार कर उसकी मानववध कर दी है। इस संबंध में थाना अम्बिकापुर में मर्ग इंटिमेशन (प्रदर्श पी-3) भी दर्ज किया गया। विवेचना अधिकारी घटना स्थल पर पहुँचे, पंचों को सूचना (प्रदर्श पी-1) दी तथा मृतका के शव पर मृत्यु समीक्षा (प्रदर्श पी-2) तैयार किया। मृतका के शव को पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय, अम्बिकापुर भेजा गया (प्रदर्श पी-10)। डॉ. के.आर. टेकाम (अ.सा.-6) ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम किया और अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-7) प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने गर्दन के दाहिने भाग पर 12 सेमी × 5 सेमी × 2 सेमी तथा 7 सेमी × 2 सेमी × 2 सेमी के दो चीरेदार घाव, छाती पर अनेक कंट्यूजन (नील), होंठ पर फटा हुआ घाव, नाभि के दाहिने भाग से लेबिया मेजोरा तक फैला चीरेदार घाव, लेबिया माइनोरा पर घर्षण तथा हाइमन का पुराना फटा हुआ होना पाया। उन्होंने यह अभिमत दिया कि मृतका की मृत्यु अत्यधिक रक्तस्राव से उत्पन्न शॉक के कारण हुई, जिसके परिणामस्वरूप कार्डियो-पल्मोनरी अरेस्ट हो गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आगे की अन्वेषण में, अपीलार्थी का प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श पी-12) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, की धारा 27 के अंतर्गत दर्ज किया गया और उसके कहने पर उससे एक सब्बल बरामद किया गया, जिसकी जप्ती प्रदर्श पी-13 के माध्यम से की गई। घटना-स्थल से मृतका का अंडरवियर, साधारण मिट्टी तथा रक्त-रंजित मिट्टी को प्रदर्श पी-11 के माध्यम से जप्त किया गया। अपीलार्थी की शर्ट, हाफ पैंट, लुंगी, अंडरवियर तथा एक जोड़ी काले चप्पल को प्रदर्श पी-14 के तहत जप्त किया गया। अपीलार्थी का संस्वीकृति कथन (प्रदर्श पी-18) भी दर्ज किया गया। जप्त की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए प्रदर्श पी-20 के माध्यम से विधि विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया। वहां से रिपोर्ट (प्रदर्श पी-22) प्राप्त हुई तथा सीरोलॉजिकल रिपोर्ट (प्रदर्श पी-23) भी प्राप्त हुई। प्रदर्श पी-22 के अनुसार, वस्तुएँ- ए (अंडरवियर), बी1 (रक्त-रंजित मिट्टी), सी (मृतका के योनि स्वैब की स्लाइड), डी (सब्बल), ई (शर्ट), एफ (हाफ पैंट) तथा जी (लुंगी) – जो अपीलार्थी की थीं –इन सभी पर रक्त के धब्बे पाए गए। साथ ही वस्तु ए, सी तथा एच (अपीलार्थी का अंडरवियर) पर मानव शुक्राणु के धब्बे पाए गए। सीरोलॉजिकल रिपोर्ट (प्रदर्श पी-23) में, आइटम क्रमांक 18 अर्थात् वस्तु अ पर मानव रक्त के धब्बे पाए गए। शेष वस्तुओं पर पाए गए धब्बे विघटित हो चुके थे, इसलिए उनके स्रोत का निर्धारण नहीं किया जा सका।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात, अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोग-पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबिकापुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वहां से मामला सत्र प्रकरण के लिए सत्र न्यायालय सरगुजा अंबिकापुर को उपार्पित किया गया, जहां से यह प्रकरण स्थानांतरण पर द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरगुजा अंबिकापुर के न्यायालय को प्राप्त हुआ। उक्त न्यायालय ने विचारण संचालित कर अपीलार्थी को दोषसिद्ध करते हुए उपरोक्त वर्णित अनुसार दंडित किया।

3. श्री सुनील त्रिपाठी, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता, ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि का निष्कर्ष, जो रामनाथ (अ.सा.-2) के घर के सामने स्थित होटल में उसकी उपस्थिति, अपीलार्थी के ज्ञापन कथन (प्रदर्श पी-12) तथा सब्बल और कपड़ों की बरामदगी के आधार पर दर्ज

किया गया है, अयुक्तियुक्त है। उपर्युक्त युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं हुई हैं। यहाँ तक कि यदि इन परिस्थितियों को उनके प्रत्यक्ष रूप में भी स्वीकार कर लिया जाए, तब भी यह नहीं कहा जा सकता कि कथित बलात्कार और मृतक की मानववध अपीलार्थी द्वारा ही की गई थी। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि मात्र प्रबल संदेह, प्रमाण का विकल्प नहीं हो सकता। अतः विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज की गई दोषसिद्धि का निष्कर्ष टिकाऊ नहीं है और अपीलार्थी दोषमुक्त किए जाने का अधिकारी है।

4. श्री राजेन्द्र त्रिपाठी, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता ने, आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी को दी गई दोषसिद्धि और सजा इस न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं करती।

5. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा सत्र प्रकरण क्रमांक 93/2008 के अभिलेख का अवलोकन किया है। अपीलार्थी की दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय के पैरा 20 में अपीलार्थी को सिद्धदोष ठहराने हेतु निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार किया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

i. अपीलार्थी का रामनाथ (अ.सा.-2) और सुगंती बाई (अ.सा.-4) के घर तथा धर्मा बाई (अ.सा.-3) के घर आना-जाना,

ii. मृतका का रामनाथ (अ.सा.-2) और धर्मा बाई (अ.सा.-3) के घरों में रहना तथा इन घरों में अपीलार्थी का आना-जाना,

iii. धर्मा बाई (अ.सा.-3) का अपीलार्थी से विवाह होना तथा बाद में उसका उसे छोड़ देना; तत्पश्चात उसका रामनाथ (अ.सा.-2) से विवाह करना, जिसके कारण उनके बीच विवाद/झगड़े होना,

iv. अपीलार्थी, मृतका के अंत:वस्त्र तथा मृतका के योनि स्वैब की स्लाइड पर मानव शुक्राणुओं की उपस्थिति, तथा

v. लगभग रात्रि 8:15 बजे, जब रामनाथ (अ.सा.-2) और उनकी पत्नियाँ खरसीया चौक जा रहे थे, उस समय रामनाथ (अ.सा.-2) के घर के सामने स्थित होटल में अपीलार्थी की उपस्थिति।

6. जहाँ तक उपर्युक्त परिस्थितियों का संबंध है, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष निकाला कि मृतका का शव रामनाथ (अ.सा.-2) के घर में पाया गया था। मृतका की मृत्यु का कारण अत्यधिक रक्तस्राव से उत्पन्न शॉक था, जिससे हृदय-फुफ्फुसीय क्रिया (कार्डियो-पल्मोनरी अरेस्ट) रुक गई, तथा यह मृत्यु प्रकृति में मानववध थी। उन्होंने आगे यह भी तर्क किया अपीलार्थी रामनाथ (अ.सा.-2) के घर में प्रवेश किया, मृतका के साथ बलात्कार किया और उसकी मानववध कर दी। उन्होंने यह भी माना कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि मृतका की मानववध अपीलार्थी द्वारा ही की गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम बालक और अन्य (2008) 15 एससीसी 551** में माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार प्रतिपादित किया है:

> "11. '9. इस न्यायालय द्वारा निरंतर यह स्थापित किया गया है कि जहाँ कोई मामला पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, वहाँ दोषसिद्धि का निष्कर्ष केवल तभी उचित ठहराया जा सकता है जब सभी अभियोगात्मक तथ्य एवं परिस्थितियाँ अभियुक्त की निर्दोषता या किसी अन्य व्यक्ति के दोष के साथ असंगत पाई जाएँ। (देखें **हुकम सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1977) 2 एससीसी 99, एराडू बनाम हैदराबाद राज्य एआईआर 1956 एससी 316, ईराभद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य (1983) 2 एससीसी 330, उत्तर प्रदेश राज्य। बनाम सुखबासी 1985 सप्प एससीसी 79, बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1987) 1 एससीसी 1** तथा **अशोक कुमार चटर्जी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1989 अनुपूरक (1) एससीसी 560**। जिन परिस्थितियों से अभियुक्त के दोष का अनुमान

लगाया जाता है, उन्हें युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध किया जाना आवश्यक है तथा यह भी दर्शाना होगा कि वे उन मुख्य तथ्यों से निकटता से संबंधित हैं जिनका निष्कर्ष इन परिस्थितियों से निकाला जाना है। भगत राम बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1954 एससी 621 में यह प्रतिपादित किया गया कि जहाँ मामला परिस्थितियों से निकाले गए निष्कर्ष पर आधारित हो, वहाँ उन परिस्थितियों का समग्र प्रभाव ऐसा होना चाहिए जो अभियुक्त की निर्दोषता को नकार दे तथा अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित कर दे।

10. हम इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय **सी. चेंगा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1996) 10 एससीसी 193** का भी उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें इस प्रकार टिप्पणी की गई है: (एससीसी पृ. 206-07, कंडिका 21)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

'21. परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों में स्थापित विधि यह है कि जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाता है, वे पूर्णतः सिद्ध होनी चाहिए और उनका स्वरूप निर्णायक होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सभी परिस्थितियाँ पूर्ण होनी चाहिए तथा साक्ष्य की श्रृंखला में कोई अंतराल नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सिद्ध परिस्थितियाँ केवल अभियुक्त के दोष के परिकल्पना के अनुरूप हों तथा उसकी निर्दोषता के साथ पूर्णतः असंगत हों।"

8. **पडला वीरा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य, एआईआर 1990 एससी 79** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित प्रतिपादित किया है—

"**10**. .....इस न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों की श्रृंखला में निरंतर यह प्रतिपादित किया है कि जब कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, तो ऐसे साक्ष्य को निम्नलिखित कसौटियों को पूरा करना आवश्यक है:—

(1) जिन परिस्थितियों के आधार पर दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे परिस्थितियाँ स्पष्ट, ठोस एवं दृढ़ रूप से स्थापित होनी चाहिए;

(2) वे परिस्थितियाँ ऐसी निश्चित प्रकृति की हों, जो बिना किसी त्रुटि के अभियुक्त के दोष की ओर संकेत करती हों;

(3) वे सभी परिस्थितियाँ, सामूहिक रूप से विचार करने पर, एक ऐसी पूर्ण श्रृंखला का निर्माण करें कि जिससे इस निष्कर्ष से बचा न जा सके कि सामान्य मानवीय संभावना के भीतर अपराध अभियुक्त द्वारा ही किया गया है और किसी अन्य द्वारा नहीं;

(4) अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण होना चाहिए तथा वह किसी अन्य परिकल्पना से, सिवाय अभियुक्त के दोष के, समझाया न जा सके; और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त के दोष के अनुरूप होना चाहिए, बल्कि उसकी निर्दोषता के साथ असंगत भी होना चाहिए।....."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. **बोधराज उर्फ बोधा और अन्य बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (2002) 8 एससीसी 45** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

"17. ..... इस न्यायालय के शब्दों में, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि करने से पूर्व पुरोभाव्य-शर्तें पूर्णतः स्थापित होना अनिवार्य है।

वे इस प्रकार हैं: (SCC पृ. 185, पैरा 153)

(1) जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे पूर्णतः स्थापित होनी चाहिए। संबंधित परिस्थितियाँ 'हो सकती हैं' नहीं, बल्कि 'होनी ही चाहिए';

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोषी होने की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए; अर्थात् उन्हें किसी अन्य परिकल्पना से, सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है, समझाया नहीं जा सके;

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति एवं प्रवृत्ति की होनी चाहिए;

(4) वे प्रत्येक संभावित परिकल्पना को, सिवाय उस एक के जिसे सिद्ध किया जाना है, निरस्त करती हों; तथा

(5) साक्ष्यों की शृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि वह अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप किसी भी युक्तिसंगत निष्कर्ष के लिए कोई आधार न छोड़े, और यह प्रदर्शित करे कि सामान्य मानवीय संभाव्यता के अनुसार उक्त कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अब हम अभियोजन द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध सिद्ध करने हेतु प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का परीक्षण करेंगे और यह देखेंगे कि क्या अभियोजन उपर्युक्त सिद्धांतों के अनुरूप अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध सिद्ध करने में सफल हुआ है।

11. यह आक्षेपित नहीं है कि मृतका रामनाथ (अ.सा.-2) तथा धर्मा बाई (अ.सा.-3) के साथ रह रही थी और उसकी मृत्यु प्रकृति में मानववध थी।

12. रामनाथ (अ.सा.-2) ने अपने बयान में कहा कि उसकी दो पत्नियाँ हैं— धर्मा बाई (अ.सा.-3) और सुगंती बाई (अ.सा.-4)। उसकी दोनों पत्नियाँ भाटापारा में एक क्वार्टर में रहती थीं। मृतका उसकी पत्नियों के साथ कार्य करती थी, इसलिए वह उससे परिचित था। धर्मा बाई (अ.सा.-3) ने बयान दिया कि रामनाथ (अ.सा.-2) उसका पति है। वह सुरेश के घर में घरेलू कार्य करती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए रामनाथ ने सुगंती बाई (अ.सा.-4) से विवाह किया। उसने आगे कहा कि मृतका को सुगंती बाई (अ.सा.-4) द्वारा उसके पास लाया गया था। सुगंती बाई ने भी इसी प्रकार बयान दिया।

13. रामनाथ (अ.सा.-2), धर्मा बाई (अ.सा.-3) तथा सुगंती बाई (अ.सा.-4) ने बयान दिया कि घटना के दिन वे मृतका को घर के अंदर छोड़कर बाहर से दरवाजा बंद करके, खरसिया चौक में रामनाथ (अ.सा.-2) के चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे। उन्होंने आगे यह कथन किया कि वे उसी दिन लगभग रात 10 बजे वापस लौटे। उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था और कमरे की लाइट जल रही थी। जब वे घर के अंदर गए, तो उन्होंने देखा कि मृतका बिस्तर पर मृत अवस्था में पड़ी थी तथा उसकी गर्दन और गाल पर चोट के निशान थे और रक्त बह रहा था।

14. रामनाथ ने बयान दिया कि उसने पुलिस थाना अंबिकापुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-4) दर्ज कराई तथा मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-3) भी पुलिस थाना अंबिकापुर में दर्ज की गई।

15. रामनाथ (अ.सा.-2), धर्मा बाई (अ.सा.-3) तथा सुगंती बाई (अ.सा.-4) ने अपने बयान में कहा कि अपीलार्थी ने धर्मा बाई (अ.सा.-3) को जान से मारने की धमकी दी थी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि घटना के दिन अपीलार्थी, रामनाथ (अ.सा.-2) के घर के सामने स्थित होटल में उपस्थित था। अतः उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि मृतका के साथ बलात्कार करने तथा उसकी मानववध करने वाला अपीलार्थी ही था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. **आशीष बाथम बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2002) 7 एससीसी 317** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से टिप्पणी की है :-

> "8. वास्तविकताओं या सत्य से परे, आपराधिक विधि के प्रशासन तथा न्याय वितरण प्रणाली का मूलभूत और आधारभूत सिद्धांत यह है कि अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है, और जब तक आरोपों को संदेह से परे, स्पष्ट, ठोस, विश्वसनीय अथवा निर्विवाद साक्ष्य के आधार पर सिद्ध नहीं किया जाता, तब तक केवल अपराध की जघन्यता या उसके क्रूरतापूर्ण तरीके से किए जाने के कारण अभियुक्त को दोषसिद्ध या दंडित करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

मात्र संदेह, चाहे वह कितना भी प्रबल या संभावित क्यों न हो, अपराध के आरोप को सिद्ध करने हेतु आवश्यक विधिक प्रमाण का प्रभावी विकल्प नहीं हो सकता। आरोप जितना जघन्य होगा, प्रमाण का स्तर उतना ही उच्च होना चाहिए। आपराधिक मामलों से निपटने वाले न्यायालयों को सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि 'शायद सत्य हो' और 'निश्चित रूप से सत्य हो' के बीच एक लंबी मानसिक दूरी होती है, और यही मूलभूत एवं स्वर्णिम सिद्धांत 'अनुमान' तथा 'निष्पक्ष न्यायिक परीक्षण के आधार पर, प्रकरण के समस्त पहलुओं तथा अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता के सम्यक् एवं व्यापक विवेचन से प्राप्त निश्चित निष्कर्ष' के बीच महत्वपूर्ण भेद को बनाए रखने में सहायक होता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. धर्मा बाई (अ.सा.-3) तथा रामनाथ (अ.सा.-2) ने यह बयान दिया कि अपीलार्थी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। धर्मा बाई (अ.सा.-3) ने यह भी कहा कि जब भी अपीलार्थी उसके घर आता था, वह वहीं भोजन करता था और ठहरता था। उसने आगे यह भी कहा कि उसके और अपीलार्थी के बीच कोई विवाह नहीं हुआ था। उसने पुलिस के समक्ष यह नहीं कहा था कि वह अपीलार्थी को छोड़ने के बाद रामनाथ (अ.सा.-2) के साथ पत्नी के रूप में रह रही थी। रामनाथ (अ.सा.-2) ने बयान दिया कि जब वह अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहा था, तब उसने देखा कि अपीलार्थी उसके घर के सामने स्थित होटल में नाश्ता कर रहा था। धर्मा बाई (अ.सा.-3) ने यह भी कहा कि उसे अपीलार्थी और मृतका के बीच किसी अवैध संबंध की जानकारी नहीं थी।

18. रामनाथ (अ.सा.-2), धर्मा बाई (अ.सा.-3) तथा सुगंती बाई (अ.सा.-4) के साक्ष्य संदेहास्पद एवं संदिग्ध प्रकृति के हैं। उक्त होटल में अपीलार्थी की मात्र उपस्थिति ही उसे विचाराधीन अपराध से जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है।

19. अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी द्वारा किए गए कथित अतिरिक्त-न्यायिक संस्वीकृति के साक्ष्य प्रस्तुत किए।

20. मन प्रसाद विश्वकर्मा (अ.सा.-8) ने बयान दिया कि अपीलार्थी ने उसके समक्ष यह स्वीकार किया कि उसने मृतका के साथ बलात्कार किया और उसे सब्बल (लोहे की रॉड/क्रोबार) से मारकर मानववध कर दी। उसने आगे कहा कि अपीलार्थी ने अपना अपराध स्वीकार किया और पुलिस ने संस्वीकृति पंचनामा प्रदर्श पी-18 तैयार किया।

21. निरीक्षक सपन चौधरी (अ.सा.-7) ने बयान दिया कि दिनांक 24-12-2007 को अपीलार्थी ने अपना अपराध स्वीकार किया और उन्होंने गवाहों की उपस्थिति में संस्वीकृति पंचनामा प्रदर्श पी-18 तैयार किया। सपन चौधरी (अ.सा.-7) और मन प्रसाद विश्वकर्मा (अ.सा.-8) के साक्ष्यों से प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने कथित रूप से पुलिस के समक्ष अपना अपराध स्वीकार किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. **मधु बनाम केरल राज्य, (2012) 2 एससीसी 399** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित कहा:

> "47. वर्तमान विवाद में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आरोपी मधु और सिबी द्वारा 13-5-1998 को पुलिस निरीक्षक पी.जे. थॉमस (PW-21) के समक्ष किए गए संस्वीकृति कथनों की सत्यता का है। यह स्पष्ट है कि उक्त कथन पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए पुलिस अधिकारी के समक्ष किए गए थे। साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अनुसार, किसी अभियुक्त द्वारा पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति उसके विरुद्ध सिद्ध नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त, धारा 26 यह उपबंधित करती है कि पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति भी उसके विरुद्ध सिद्ध नहीं की जा सकती। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आरोपी मधु और सिबी द्वारा दिए गए कथन

पुलिस अभिरक्षा में पुलिस अधिकारी के समक्ष किए गए थे। अतः साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 के प्रावधानों के अनुसार, इन कथनों का उनके विरुद्ध उपयोग नहीं किया जा सकता। हालांकि, इस नियम का अपवाद साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत प्रदान किया गया है।"

23. वर्तमान प्रकरण में, अपीलार्थी द्वारा पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई तथाकथित अतिरिक्त-न्यायिक संस्वीकृति, इसलिए प्रदर्श पी-18 के माध्यम से अभिलिखित यह संस्वीकृति ग्राह्य साक्ष्य नहीं है। उपर्युक्त के आलोक में यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी ने कोई अतिरिक्त-न्यायिक संस्वीकृति की थी।

24. अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य में अपीलार्थी का प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श पी-12), उसके कथन पर सब्बल (लोहे का सरिया/क्रोबार) की बरामदगी तथा उसके बताए अनुसार उसके उपर्युक्त कपड़ों की जब्ती सम्मिलित हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. सपन चौधरी (अ.सा.-7) ने अपने बयान में कहा कि दिनांक 24-12-2007 को अपीलार्थी का ज्ञापन कथन (प्रदर्श पी-12) उनके द्वारा दर्ज किया गया। अपीलार्थी के बताए अनुसार उन्होंने प्रदर्श पी-13 के तहत सब्बल बरामद किया तथा प्रदर्श पी-14 के तहत अपीलार्थी की शर्ट, हाफ पैंट, लुंगी, अंडरवियर और एक जोड़ी प्लास्टिक चप्पल जब्त की। उन्होंने आगे कहा कि जब्त सामग्री को रासायनिक परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया (प्रदर्श पी-20)। विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-22) के अनुसार, मृतका के अंडरवियर, मृतका के योनिक स्वैब की स्लाइड तथा अपीलार्थी के अंडरवियर पर मानव शुक्राणु पाए गए। मृतका के अंडरवियर, सब्बल, तथा अपीलार्थी की शर्ट, हाफ पैंट, लुंगी, अंडरवियर और चप्पलों पर रक्त के धब्बे पाए गए। प्रदर्श पी-23 सीरोलॉजिकल रिपोर्ट है, जिसमें आइटम क्रमांक 18, अर्थात मृतका

की अंडरवियर, पर मानव रक्त पाया गया। शेष वस्तुओं पर पाए गए रक्त के धब्बे विघटित अवस्था में थे, जिससे उनके स्रोत का निर्धारण नहीं किया जा सका।

26. विधिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-22) एवं सीरोलॉजिकल रिपोर्ट (प्रदर्श पी-23) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जब्त वस्तुओं पर पाए गए रक्त के समूह (ब्लड ग्रुप) का निर्धारण नहीं किया जा सका।

27. वर्तमान प्रकरण में घटना दिनांक 10-12-2007 को घटित हुई। दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 53-A को दिनांक 23-06-2006 से प्रभावी किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53-A(2)(iv) इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "53-A.(1) xxxxx xxxxx xxxxx
>
> (2) ऐसा परीक्षण करने वाला पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी बिना विलंब के उस व्यक्ति की अन्वेषण करेगा और अपनी अन्वेषण की रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे, अर्थात—
>
> (i) xxxxx xxxxx xxxxx
>
> (ii) xxxxx xxxxx xxxxx
>
> (iii) xxxxx xxxxx xxxxx
>
> (iv) अभियुक्त के शरीर से डीएनए प्रोफाइलिंग हेतु लिए गए नमूनों का विवरण; तथा
>
> xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx"

28. **कृष्ण कुमार मलिक बनाम हरियाणा राज्य, एआईआर 2011 एससी 2877** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से टिप्पणी की है :

> "45. अब, दण्ड प्रक्रिया संहिता में धारा 53(ए) के 23.06.2006 से प्रभावी समावेशन के पश्चात, जैसा कि प्रत्यर्थी-राज्य के अधिवक्ता द्वारा हमारे संज्ञान में लाया गया, ऐसे प्रकार के मामलों में अभियोजन के लिए डीएनए परीक्षण कराना आवश्यक हो गया है, जिससे अभियोजन को अभियुक्त के विरुद्ध अपना मामला सिद्ध करने में सुविधा होती है। वर्ष 2006 से पूर्व भी, यद्यपि दण्ड प्रक्रिया संहिता में उक्त विशिष्ट प्रावधान नहीं था, फिर भी अभियोजन डीएनए परीक्षण या विश्लेषण तथा अभियुक्त के वीर्य का पीड़िता के अंतःवस्त्रों पर पाए गए वीर्य से मिलान कराने की प्रक्रिया अपना सकता था, जिससे मामला पूर्णत: दोषसिद्ध बन सकता था, परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया, अतः उन्हें इसके परिणामों का सामना करना होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. वर्तमान मामले में, मृतका के अंतःवस्त्र एवं योनि स्वाब की स्लाइड तथा अपीलार्थी के अंतःवस्त्र डीएनए परीक्षण हेतु नहीं भेजे गए, न ही अपीलार्थी के वीर्य का नमूना डीएनए परीक्षण हेतु भेजा गया, जिससे अपीलार्थी के वीर्य का मृतका के अंतःवस्त्र एवं योनि स्वाब की स्लाइड पर पाए गए वीर्य से विश्लेषण एवं मिलान किया जा सके और मामला पूर्णत: दोषसिद्ध बनाया जा सके। अतः केवल मृतका एवं अपीलार्थी के अंतःवस्त्रों की जब्ती तथा उन पर मानव शुक्राणु की उपस्थिति मात्र, अपीलार्थी को संबंधित अपराध से जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है।

30. अतिरिक्त-न्यायिक संस्वीकृति, अपीलार्थी का ज्ञापन कथन, तथा मृतका के अंतःवस्त्र की बरामदगी एवं अपीलार्थी के कथन पर उसके अंतःवस्त्र की बरामदगी, ये सभी साक्ष्य निर्णायक प्रकृति के नहीं हैं। इन परिस्थितियों की व्याख्या संभव है, और परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला भी पूर्ण नहीं है। भले ही कंडिका 20 में संक्षेपित परिस्थितियों को उनके मूल रूप में स्वीकार किया

जाए, वे केवल संदेह उत्पन्न करती हैं और इनके आधार पर अपीलार्थी के दोष का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

31. अतः सभी पहलुओं से मामले का परीक्षण करने पर, हम इस विचारित मत पर पहुँचते हैं कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता।

32. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को दी गई दोषसिद्धि एवं दण्ड अपास्त किए जाते हैं। अपीलार्थी को उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। वह दिनांक 24-12-2007 से कारावास में है। यदि किसी अन्य प्रकरण में उसकी आवश्यकता न हो, तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/- **सही/-**

सुनील कुमार सिन्हा **राधे श्याम शर्मा**

न्यायाधीश **न्यायाधीश**

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By .....Shreyas Nayak (Advocate).....